न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 0023/अ–20(3)/2021–22

मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल

——— आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन,(राजस्व विभाग)

——— अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 01 /08/2022 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा पत्र क्र. 34/डी–6/का./चंबे/22 दिनांक 25.02.2022 एवं ऑनलाईन आवेदन क्र. 0227080602038–APP–13009445 दिनांक 28.02.2022 प्रस्तुत कर जल संसाधन विभाग की सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना जिला विदिशा में प्रभावित वन भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 70.88 है. भूमि न्यायालयीन प्र.क्र.02/अ–19(3)/17–18 आदेश दिनांक 10.10.17 द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित वन भूमि में से 40.799 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है शेष 30.081 है. भूमि वन विभाग के द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि के स्थान पर शेष भूमि तहसील सिरोंज के ग्राम कांजीखेडी स्थित खसरा क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. एवं ग्राम सेमलखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र.106 रकबा 19.371 है. कुल रकबा 44.597 है. में से 30.081 है. वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को विधिवत जॉच कार्यवाही हेतु प्रकरण अंतरित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज द्वारा प्रकरण में आवश्यक जॉच कार्यवाही तहसीलदार सिरोंज से कराई जाकर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

तहसीलदार सिरोंज द्वारा पंजीबद्ध प्र.क्र. 0003/अ–20(3)/2022–23 अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से मौका जॉच कराई गई जिसमें ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है., सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना उल्लेखित कर ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा 33.834 है., होना व आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो चरनोई का शेष रकबा 3.753 है. होना प्रतिवेदित कर रिपोर्ट मय अक्स, खसरा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दिनांक 28.01.2022 को इश्तहार का प्रकाशन कराया गया जिसमें नियत दिनांक 14.02.2022 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज द्वारा पत्र क्र.292 दिनांक 08.03.2022 से उक्त भूमि वन भूमि न होना उल्लेखित किया गया है। प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत कांजीखेडी जनपद पंचायत सिरोंज द्वारा दिनांक 07.02.2022 को पत्र प्रस्तुत कर वांछित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति न होना उल्लेखित किया गया है। तदानुसार कार्यवाही कर नायब तहसीलदार सिरोंज द्वारा वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को प्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा नायब तहसीलदार सिरोंज से प्राप्त प्रकरण पर प्र.क्र. 0003/अ–20(3)/2022–23 पंजीवद्ध कर नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 विभागीय परिपत्र क्र. एफ 6–75/2019/सात/शाखा–3 दिनांक 24.09.2020 अनुक्रम में अभिमत आहुत किया गया। प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा के प्रतिवेदन दिनांक 23.05.2022 एवं कार्यवाही विवरण क्र.1047/क्यू–8/भू–अभि./नजूल/2022 दिनांक 17/05/2022 अनुसार जिला नजूल निर्वतन समिति विदिशा द्वारा दिनांक 17.05.2022 को आयोजित बैठक में समिति सदस्यो द्वारा होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वैकल्पिकं वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को म.प्र. नजूल निर्वतन निर्देश 2020 के अध्याय–दो के तहत हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण इस न्यायालय उपलब्ध कराया गया।

नायब तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सिरोंज/प्रधारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रक़बा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को म. प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 के तहत नोईयत परिवर्तन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–4 क्र.1 की कंण्डिका–36 एवं म.प्र.शासन,राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्रादेश क्र. एफ 6–7/2013/सात/2 बी दिनांक 13.02.2013 एवं म.प्र.राजपत्र (असाधरण) राजस्व विभाग भोपाल क्र. एफ 6–75–2019–सात–शा.3 दिनांक 24 सितम्बर 2020 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जावे।

01/08/2022
(उमाशंकर भार्गव)
कलेक्टर
जिला–विदिशा

कलेक्टर
जिला - विदिशा (म.प्र.)

पृ.क्र./क्यू/रीडर/2022/ 10183 विदिशा दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
04. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
05 मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, विदिशा।
07. उपखण्ड अधिकारी सिरोंज।
08. कार्यपालन, यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नही संभाग गंजबासौदा।
09. तहसीलदार, सिरोंज।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01/08/2022
कलेक्टर
जिला–विदिशा

कलेक्टर
जिला - विदिशा (म.प्र.)